IDHR

State of Illinois
Department of Human Rights

इलिनोइस मानव अधिकार कानून के अधीन भेदभाव का आरोप संचिकायन करना

ILLINOIS DEPARTMENT OF
Human Rights

कानून क्या प्रदान करता हैं

भेदभाव का आरोप किस तरह से संचिकायन करना चाहिए

HINDI

इलिनोइस मानव अधिकार विभाग

इलिनोइस मानव अधिकार विभाग ("आईडीएचआर") इलिनोइस मानव अधिकार कानून ("कानून") लागू करन के लिए जिम्मेदार संघीय एजेंसी हैं।

लक्ष्य

इलिनोइस मानव अधिकार विभाग का लक्ष्य इलिनोइस राज्य के भीतर सभी लोगों को गैरकानूनी भेदभाव से मुक्ति दिलाना और इस राज्य की कार्यनीति के तहत उनके सभी निवासियों के लिए समान अवसर और सकारात्मक कार्यवाही स्थापित करने का और बढ़ाने का हैं।

कानून क्या है?

इलिनॉइस का मानव अधिकार अधिनियम रोजगार, आर्थिक ऋण, सार्वजनिक आवासों तथा जमीन जायदाद के लेनदेनों में व्यक्ति के जाति, रंग, धर्म, लिंग (जिसमें गर्भावस्था तथा यौन उत्पीड़न शामिल है), राष्ट्रीय मूल, वंशावली, आयु, सुरक्षा आदेश की स्थिति, वैवाहिक स्थिति, विकलांगता, यौन रुझान (जिसमें लैंगिक पहचान शामिल है), रोजगार में गिरफ़्तारी का रिकॉर्ड, आवास व्यवस्था की पारिवारिक स्थिति (18 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाले परिवारों के लिए) तथा अन्य के कारण भेदभाव को निषिद्ध करता है|

रोजगारः कानून लोगों को मजदूरी, चयन, बढ़ती, स्थानान्तरण, वेतन, कार्यकाल, पदच्युति, और अनुशासन सहित रोजगार की सभी शर्ते और स्थितियों में भेदभाव से रक्षित करता हैं।

निष्पक्ष आवास (अचल संपदा लेन-देन): आवासीय या वाणिज्यिक संपदा की बिक्री या किराये पर देने में भेदभाव करना गैरकानूनी हैं। ऐसे भेदभाव कुछ उदाहरण है:

- लेन-देन की शर्ते या स्थितियाँ या विशेषाधिकारों में परिवर्तन करना।
- बंच्चे वाले परिवारों को आवास देने में मना करना।
- विकलांग लोगों के लिए प्राप्य आवास में यथोचित आपूर्तियाँ/रूपांतरण के लिए आज्ञा देने में मना करना।
- संपदा किराये पर देने या बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, ऐसा झूठा बयान देना।

वित्तीय साख: इलिनोइस में कार्यरत सभी वित्तीय संस्थाओं को बंधक रखना, वाणिज्यिक या निजी कर्ज, और क्रेडिट कार्ड्स प्रदान करने में भेदभाव करने से मना की गई हैं।

सार्वजनिक आवासः व्यवसाय, मन-बहलाव, ठहरने का स्थान, मनोरंजन या परिवहन सुविधा जैसी साधारण प्रजा के लिए हो ऐसी किसी भी तरह की सार्वजनिक सुविधा, संपत्ति और सेवाओं का एक समान सुख पाने में और पूर्ण रूप से भेदभाव करना गैरकानूनी हैं।

उच्चतर शिक्षा में यौन उत्पीड़न: सार्वजनिक या निजी शिक्षण संस्थानों में किसी अधिकारी, संकुल सदस्य, प्रशासनिक कर्मचारी या शैक्षिक सहायक द्वारा छात्रों या छात्राओं से यौन अनुरोध या यौन प्रकृति की अप्रिय पहलों को यह कानून प्रतिबंधित करता है, जबकि ऐसा व्यवहार छात्र या छात्रा के प्रदर्शन के साथ हस्तक्षेप करता है; डरावना, आक्रामक या अप्रिय वातावरण बनाता है; या अकादमिक अथवा पाठ्येतर अवसरों की नियम व शर्त है।

आप आईडीएचआर के साथ भेदभाव के आरोपों को दर्ज कर सकते हैं यदि:

1) आप किसी शिक्षा या अन्य कर्मचारी सदस्य, व्यवसाय, नियोक्ता, मजदूर संगठन, रोजगार एजेंसी या सरकारी एजेंसी द्वारा विभेदक बर्ताव के अधीन हो;
2) बर्ताव रक्षित वर्गों में से किसी एक वर्ग की आपकी स्थिति पर आधारित हो;
3) बर्ताव सम्मिलित पांच क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र का हो, और
4) **आरोप मानव अधिकार विभाग के साथ भेदभाव घटित होने के बाद यथासंभव जल्दी ही, लेकिन भेदभाव घटित होने के 180 दिन पहले संचिकायन किया गया हो। (आपको आवासी भेदभाव के आरोप एक साल के अंदर संचिकायन कराने की आज्ञा दी जाती हैं।)**

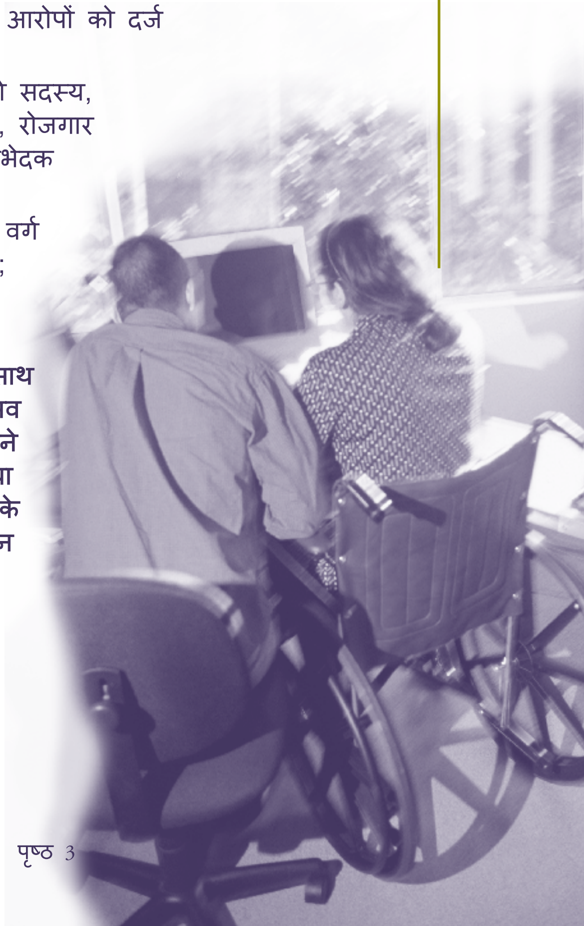

आरोप किस तरह से संचिकायन करना चाहिए

यदि आप मानते हो कि आपके अधिकारों का भंग किया गया है, तो आप अपनी चिंताओं की बहस करने हेतु आईडीएचआर कर्मचारियों के किसी सदस्य के साथ बात कर सकते हैं। वे आपसे साक्षात्कार करेंगे और, यदि आपके आरोपों को कानूनी समर्थन प्राप्त है, तो आरोप तय करेंगे, जिस पर आपको हस्ताक्षर और नोटरी से प्रमाणित करवाना ही चाहिए। आईडीएचआर कर्मचारियों संचिकायन करने के कारणों की सिफारिश नहीं करते, लेकिन विभिभन्न तरह के भेदभाव की बहस करेंगे और आरोप संचिकायन करने की प्रक्रिया समझांएंगे। अतिरिक्त में, आईडीएचआर उचित हो वहां पर शायद अन्य एजेंसियों का नाम लेंगे।

आप कोई आरोप दर्ज कराए तो आपको हमें क्या बताना चाहिए:

आप जब भेदभाव का कोई आरोप दर्ज कराते है, तब आपको मुमकिन हो उतनी अतिरिक्त विस्तृत जानकारी देने की आवश्यकता होगी।

- अपना नाम, डाक पता, ई-मेल पता (यदि उपलब्ध हो), कोई ऐसा फोन नंबर जिस पर आपसे संपर्क किया जा सके तथा ऐसे व्यक्ति के बारे में सूचना जिससे आप तक न पहुंच पाने की स्थिति मे संपर्क किया जा सके, देना सुनिश्चित करिये।
- सही और संपूर्ण जानकारी (नाम(मो), पता (ते) और नियोक्ता, संघ (यूनियन), या जो संस्था को मानते हो कि उन्होंने आपके खिलाफ भेदभाव बर्ता हो, उनके फोन नंबर(सं) दीजिए।
- अभिकथित भेदभाव किया गया हो ऐसी सब से नई (हाल की) तिथि बताएं।
- कोई भी गवाहों के नाम और सम्पर्क जानकारी और किसी भी संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रदान कीजिए।

कोई भी आरोप लिखित में, फोन से या स्वयं की उपस्थिति में किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। (यदि आप स्वयं संचिकायन करवाएं, तो कृपया नोट कीजिए कि सभी मुलाकाती जांच के अधीन होंगे और इमारत में प्रवेश पाने के लिए तसवीर वाला पहचान पत्र होना ही चाहिए।) आरोप की प्रतिलिपि और जानकारी के लिए प्रारंभिक निवेदन प्रतिवादी (आप मानते हो ऐसी वह व्यक्ति या संस्था जिसने आपके साथ भेदभाव किया हो) को 10 दिन के अंदर डाक से भेजी जाएगी।

मध्यस्थता

मध्यस्थता वार्ता जांच-पड़ताव का विकल्प है तथा आरोप को शीघ्र हल कर सकता है। मध्यस्थता एक अनौपचारिक, खर्च रहित प्रक्रिया है जिसमें शिकायतकर्ता तथा प्रतिवादी (जो “पक्ष” के रूप में संदर्भित हैं) प्रशिक्षित तथा प्रमाणित आईडीएचआर मध्यस्थों के साथ स्वेच्छा से मिलते हैं, जो उनको आरोप के संभावित हल की खोज करने में सहायता करते हैं। मध्यस्थता प्रक्रिया गोपनीय है तथा सभी मध्यस्थता हल वार्ताएं आईडीएचआर के शिकागो मुख्यालय में होती हैं। मध्यस्थता के दौरान (जिसमें चार या अधिक घंटे लग सकते हैं) अटॉर्नी, सलाहकार की भूमिका में उपस्थित हो सकते हैं। आईडीएचआर मध्यस्थ, पक्षों पर कोई निर्णय नहीं थोपता है। समाधान अनुबंध को स्वीकार करना, प्रतिवादी द्वारा अपराध की स्वीकरोक्ति निर्धारित नहीं करता है। समझौते की शर्तों में आर्थिक तथा/या गैर-आर्थिक तत्व शामिल हो सकते हैं। मध्यस्थता समझौते पर पहुंचने के बाद पक्षों के पास एक छोटी समय-अवधि होती है जिसमें वे समझौते से बाहर निकलने का निर्णय ले सकते हैं। यदि पक्ष किसी समझौते पर पहुंचने में असमर्थ होते हैं तो आरोप जांच-पड़ताल के चरण की ओर आगे बढ़ता हैं।

एक जांच-पड़ताल

ममला जांच-पड़ताल के चरण तक पहुंचता है यदि पक्षकारों मध्यस्थता में साझी न हो या यदि मध्यस्थता विफल बनी रहें। शिकायतकर्ताओं और प्रतिवादिओं की आईडीएचआर की जांच-पड़ताल में सहयोग करने की जिम्मेदारी होती हैं। आईडीएचआर के पास संबंधित दस्तावेजों और व्यक्तियों को समन्स भेजने की सत्ता होती हैं।

आईडीएचआर की भूमिका आरोप में बताए गए बयानों की *निष्पक्ष* जांच-पड़ताल कराने की होती हैं। मामला संभालने वाला अन्वेषक दोनो पक्षकारों के संबंधित गवाहों का सम्पर्क और साक्षात्कार कर सकता है और कोई भी उपयुक्त दस्तावेजों को हांसिल कर सकता हैं। प्रतिवादिओं को आरोप से जुडे कोई भी रिकार्ड सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती हैं। अतिरिक्त ***में, प्रतिवादिओं को किसी व्यक्ति ने संचिकायन की होने की वजह से या उस व्यक्ति के आरोप की जांच में साझी होने की वजह से उनके खिलाफ़ बदला लेने की मना है।*** **जो व्यक्ति मानता/मानती है कि उसके खिलाफ** बदला लिया गया हैं वह व्यक्ति आईडीएचआर के साथ बदले के आरोप का संचिकायन करवा सकती हैं।

सच्चाई खोज हेतु सम्मेलन

दोनो पक्षकारों को किसी सच्चाई खोज सम्मेलन में उपस्थित रहने की आवश्यकता पड सकती है, जो आईडीएचआर अन्वेषक द्वारा बुलाई गई आमने-सामने की बैठक होती हैं। वह एक खोजी हथियार है जिसकी रचना या तो सम्पूर्ण जांच-पड़ताल या फिर शीघ्र स्वैच्छिक समझौता निश्चित करने के लिए की गई हैं। प्रत्येक पक्षकार विवाद का अपना पक्ष रखता है और विरोधी पक्ष का उत्तर देता हैं। उचित कारण के बिना सच्चाई खोज सम्मेलन में उपस्थित होने में विफलता से शिकायतकर्ताओं के लिए आरोप को खारिज करना या प्रतिवादिओं की अनुपस्थिति नतीजा निकल सकता हैं।

यदि सच्चाई खोज सम्मेलन बुलाया जाता है, तो कोई भी पक्षकार कानूनी काउसेल को ला सकता है अगर अटर्नी "उपस्थित रहने की सूचना" में शामिल हैं। फिर भी, अटर्नी की भूमिका बिल्कुल परामर्श करने की होती है और वे सम्मेलन में शायद प्रमाणित नहीं करेंगे सिवाय उन मामलों को जिन पर उन्हें प्राथमिक जानकारी है, और ना ही वे किसी पक्षकार को सीधे सवालात कर पाएंगे।

किसी भी पक्षकार को कोई अटर्नी से अपना प्रतिनिधित्व कराने की आवश्यकता नहीं हैं। अन्वेषक निश्चित करेंगे के सभी पक्षकारों के पास अपनी सच्चाई और गवाही को रखने के लिए पूर्ण और उचित अवसर हो। अपना पक्ष कानूनी काउसेल से न रखने वाले शिकायतकर्ता सम्मेलन में परामर्श और नैतिक समर्थन के लिए किसी दोस्त या रिश्तेदार को ला सकते हैं; हालांकि, ऐसे व्यक्ति आरोप के संबंध में प्राथमिक जानकारी रखती हो केवल ऐसे मामले ही प्रमाणित करेंगे। अतिरिक्त में, शिकायतकर्ता को अगर जरूरत हो तो वे सम्मेलन में किसी दुभाषिये को ला सकते हैं। गवाह भी सच्चाई खोज सम्मेलन में शामिल हो सकते है लेकिन वे अन्वेषक की समझ पर ही उपस्थित रहेंगे।

जांचकर्ता, संबंधित पक्षों से प्रश्न पूछेगा तथा शिकायतकर्ताओं व प्रतिवादियों को प्रतिक्रिया देने का तथा/या दूसरे पक्ष के बयानों को गलत साबित करने का एक बाद के बाद एक अवसर प्रदान करेगा तथा पक्षों को अपनी स्थिति का समर्थन करने के लिए दस्तावेज या गवाहियां प्रस्तुत करने का अवसर देगा। जांचकर्ता अधिक दस्तावेजों की पहचान कर सकता है तथा आरोप की जांच-पड़ताल के लिए आवश्यक दस्तावेजों की मांग कर सकता है।

जांचकर्ता बयानों तथा प्रतिक्रियाओं के अनौपचारिक नोट लेगा। आईडीएचआर नियमों के अनुसार, ये जांच नोट विशेषाधिकार से संबंधित है तथा दोनो पक्षों को नहीं भी दिये जा सकते हैं। यह वार्ता कोई औपचारिक सुनवाई नहीं है और

आईडीएचआर द्वारा इसका कोई आशुलिपिक प्रतिलेख (स्टेनोग्राफिक ट्रांसक्रिप्ट) तैयार नहीं किया जाता है।

जांचकर्ता यदि तथ्य-खोज वार्ता नहीं आयोजित करता है तो जांचकर्ता तथ्यों तथा साक्ष्यों को शिकायतकर्ताओं व प्रतिवादियों के साथ अलग-अलग संपर्क करके जुटाएगा।

खोज और परिणाम

जांच-पड़ताल के बाद, एक लिखित रिपोर्ट बनाई जाएगी जो सिफारिश करेगी कि क्या कानून भंग का कोई "ठोस प्रमाण" है या नहीं। किसी "ठोस प्रमाण" की खोज का तात्पर्य यह होगा कि शिकायतकर्ता के लिए मामला इलिनोइस मानव अधिकार आयोग (आयोग) (ऐसी एजेंसी जो शिकायतकर्ता के हित में आईडीएचआर द्वारा या शिकायतकर्ता द्वारा संचिकायन की गई शिकायतों की सुनवाई करती हैं) में प्रशासनिक कानूनी न्यायधीश के पास या राज्य क्षेत्र की उचित अदालत में ले जाने के लिए पर्याप्त प्रमाण हैं। वह फोरम (या तो आयोग या फिर क्षेत्रीय अदालत) प्रमाणों को सुनेगा, गवाही प्राप्त करेगा और निर्धारित करेगा कि क्या गैरकानूनी भेदभाव रखा गया था या नहीं।

यदि ठोस प्रमाण पाया गया हो, तो शिकायतकर्ता के पास या तो
1) आईडीएचआर को शिकायतकर्ता के हित में आयोग के सामने शिकायत (कानून में निर्देश की गई समयावधि के अंदर) दर्ज करने की विनती करने का, या फिर
2) राज्य क्षेत्र की उचित स्थान की अदालत में (कानून में निर्देश की गई समयावधि के अंदर) मुकदमा शुरू करने का विकल्प होता हैं।
यदि शिकायतकर्ता आईडीएचआर को आयोग के सामने शिकायत दर्ज करने की विनती करता है, तो आईडीएचआर अटर्नी की नियुक्ति पक्षकारों को आरोप का हल निकालने में या "समाधान" करने में मदद करने के लिए की जाएगी। यदि समझौता करार नहीं होता, तो विभाग शिकायतकर्ता के हित आयोग के सामने नागरिक अधिकारों के भंग की शिकायत का संचिकायन कराएगा। शिकायतकर्ता को आयोग के सामने मामला साबित करने का बोझ रहता हैं।

यदि आईडीएचआर भेदभाव के "ठोस प्रमाण का अभाव" पाता है, तो वह आरोप खारिज करेगा।
कानून में निर्देश

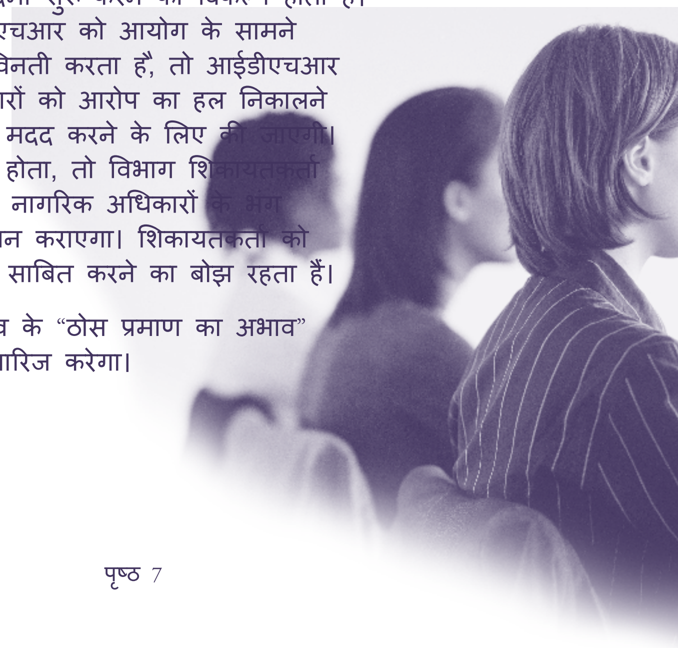

की गई समयावधि के अंदर, शिकायतकर्ता के पास या तो 1) आयोग के सामने पुनरीक्षण के लिए विनती संचिकायन करने का, या फिर, 2) राज्य क्षेत्र की उचित स्थान की अदालत में मुकदमा शुरू करने का विकल्प होता हैं।

अतिरिक्त में, कानून में निर्देश की गई समयावधि के अंदर, प्रतिवादी आयोग के सामने पुनरीक्षण के लिए विनती संचिकायन कर सकता है अगर विभाग के द्वारा "अनुपस्थिति की सूचना" जारी की गई हो। आयोग के अंतिम आदेश के सामने उचित पुनर्विचार अदालत में पुनर्विचार के लिए प्रार्थना की जा सकती हैं।

**1/1/08 के पहले दर्ज आरोपों के लिये, मुख्य कानूनी सलाहकार के विभाग के साथ समीक्षा का अनुरोध दर्ज किया जा सकता हैं।*

प्रक्रिया में कितना समय लगता है?

मानव अधिकार कानून में आवश्यकता है कि आईडीएचआर सभी कार्यवाहियाँ समाप्त करे और निपुण आरोप संचिकायन करने के 365 दिनों के अंदर या पक्षकारों के लिखित करार द्वारा विस्तृत की गई समयावधि के अंदर खोज करें। (आवासी आरोपों को संचिकायन करने के 100 दिनों के भीतर पूर्ण करना होता है, सिवाय ऐसा करना अव्यावहारिक हो।) आईडीएचआर समय पर जांच-पड़ताल खत्म करने के लिए सभी प्रयास करता ह। फिर भी, अन्वेषक जांच-पड़ताल खत्म करने के लिए समय बढ़ाने की विनती कर सकते हैं। यदि एक या दोनो पक्षकारों समयावधि बढ़ाने पर हस्ताक्षर करने का इन्कार करे, और यदि विभाग आरोप संचिकायन करने के 365 दिन के भीतर कोई खोज या खारिज करने की सूचना जारी न करे, तो शिकायतकर्ता के पास आयोग के सामने शिकायत संचिकायन करने के लिए या राज्य क्षेत्र की उचित स्थान की अदालत में मुकदमा शुरू करने के लिए 90 दिन होते हैं। यदि शिकायतकर्ता आयोग के सामने शिकायत दर्ज न कराए या राज्य क्षेत्र की अदालत में मुकदमा शुरू न करे, तो मामले पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

इलिनोइस मानव अधिकार आयोग

आयोग राज्य की एक अलग एजेंसी है जो आईडीएचआर द्वारा संचिकायन की गई शिकायतों पर सार्वजनिक सुनवाई करती हैं। विभाग आयोग में किसी भी पक्षकार का प्रतिनिधित्व नहीं करता हैं। दोनो पक्षकारों प्रशासनिक कानूनी न्यायधीश और मानव अधिकार आयोग के सामने

मुकदमा यथार्थतः प्रस्तुत करने या बचाव करने के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व हासिल कर सकते हैं।

यदि शिकायतकर्ता इस स्तर पर जीतता है, तो न्यायधीश शिकायतकर्ता को "संपूर्ण" बनाने हेतु कानून के जरिए अनुमति दिए गए उपायों का आदेश कर सकता हैं। उपायों में शायद पिछला वेतन, गवाएं हुए लाभ, निजी फाईल मुक्त करना, भावुक हानियां, काम पर रखना, बढ़ती, पुनर्नियुक्ति, जहां पुनर्नियुक्ति मुमकिन न हो वहां अग्रवर्ती वेतन, और अटर्नी की फीस और लगात शामिल हो सकते हैं। दंडात्मक हर्जाना, यानि, नियोक्ता को सजा करने का हेतु रखने वाली हानियाँ, कानून के मुआफिक प्राप्य नहीं होती।

संघीय एजेंसियों और संघीय अदालतों के साथ संबंध

शिकायतकर्ताओं के संघीय अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु, आईडीएचआर ग्राह्य रोजगार आरोपों को संघीय रोजगार अवसर प्रदान करने वाला आयोग (ईईओसी) के साथ स्वतः प्रति-संचिकायन करता है, और एजेंसियों की काम बाँटने के करार तहत ईईओसी के लिए जांच-पड़ताल का संचालन करता हैं। उस तरह से, आवासी मामलों को यू.एस. आवासी और शहरी विकास विभाग (एचयूडी) के साथ प्रति-संचिकायन किया जाता हैं।

रोजगार का आरोप करने वाला शिकायतकर्ता किसी भी समय ईईओसी से "अभियोग चलाने के अधिकार की सूचना" की विनती कर सकता है जो उन्हें संघीय अदालत में मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति देता हैं। यदि अभियोग चलाने के अधिकार की सूचना की विनती की जाए, तो आप आईडीएचआर में आपका मामला वापस लेने के लिए उत्साहित करेंगे। यदि आईडीएचआर के साथ संचिकायन किए गए समान विवादों को संघीय अदालत में दर्ज किया जाता है और आपने उसे वापस नहीं लिया है, तो आईडीएचआर जांच-पड़ताल निलंबित करेगा।

यदि आरोप वापस लेने से पहले किसी अटर्नी से परामर्श करना श्रेष्ठ कार्यवाही होगी तो वह ऐसा निर्धारित करने के लिए उचित होगा। आईडीएचआर प्रतिनिधियों आईडीएचआर की निष्पक्ष भूमिका के साथ रहते हुए, शिकायतकर्ताओं या प्रतिवादियों को कानूनी सलाह नहीं दे सकतें।

किसी आरोप का पथ

(1/1/08 से प्रभावी)

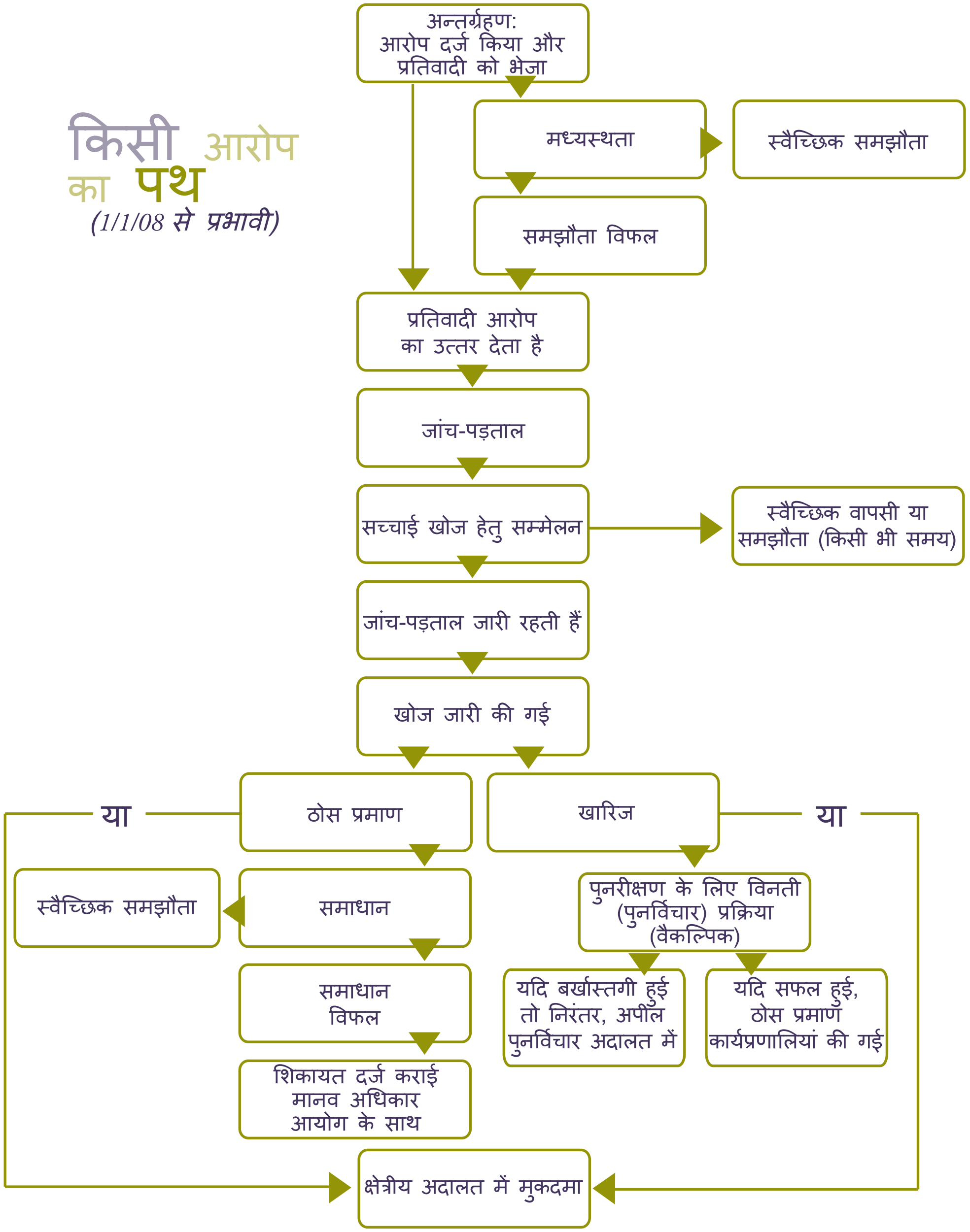

विभाग द्वारा प्रदान की जाती अन्य सेवाएं

प्रशिक्षण: प्रशिक्षण तथा विकास संस्थान ("संस्थान") पूरे इलीनोएस में, काम करने तथा घर, दोनो जगहों पर विविधतापूर्ण संस्कृतियों के बीच सम्मान बढ़ाने के लिये बनाये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। वास्तविक जीवन की स्थितियों का उपयोग करते हुये, प्रमाणित प्रशिक्षक उचित रोज़गार कानूनों तथा अभ्यासों पर, बेहतर समझ के माध्यम से टकराव को सुलझाने के तरीकों तथा यौन उत्पीड़न रोकथाम जैसी गैर-भेदभाव आवश्यकताओं पर जानकारी प्रदान करते हैं। स्वतंत्र अध्ययन तथा काम पर संदर्भ उपकरणों से संबंधित पर्चे प्रदान किये जाते हैं। यह संस्थान एचआर प्रमाणन संस्थान से अनुमोदित है तथा एचआर प्रमाणन के लिये प्रशिक्षण प्रारूप प्रदान करता है। सार्वजनिक तथा निजी दोनो प्रकार सत्र चलाये जाते हैं। आपके स्थान पर आकर प्रशिक्षण देने के लिये शुल्क लागू हो सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिये या प्रशिक्षण निर्धारित करने के लिये (312) 814-2477 पर संपर्क करें।

सकारात्मक कार्रवाई प्रवर्तन: राज्य संपर्क एजेंसी, समान रोजगार अवसरों तथा सकारात्मक कार्रवाई ("ईईओ/एए") अनुपालन के लिये राज्य कार्यकारी एजेंसियों का निरीक्षण करती है तथा तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इकाई, एजेंसी का विकलांग कर्मचारियों की राज्य अंतर-एजेंसी कमेटी ("आईसीईडी") में प्रतिनिधित्व भी करती है।

सार्वजनिक अनुबंध: ऐसे सभी व्यक्ति तथा कंपनियां, जो 15 या अधिक व्यक्तियों को पंजीकरण की तारीख के तुरंत बाद से 365 दिनों का अवधि के दौरान किसी भी समय रोजगार दे रहे हैं तथा इलीनोएस में किसी राज्य इकाई के साथ व्यवसाय करने की इच्छा रखते हैं तो उनको यह सुनिश्चित करने के लिये कि इन्होने समान रोजगार नीतियों तथा आईडीएचआर नियमों व शर्तों को लागू किया है, सार्वजनिक अनुबंध इकाई के माध्यम से एक पात्र बोलीकर्ता संख्या के लिये अवश्य पंजीकरण कराना चाहिये।

शिक्षा तथा पहुंच: पहुंच कर्मचारी आईडीएचआर के जनसंपर्क भुजाएं हैं। जनता को मानवाधिकार मामलों, कर्मचारी समन्वित कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों, सामुदायिक तथा नागरिक संगठनों की ओर निर्देशित आयोजनों तथा कार्यक्रमों के बार में जानकारी देते रहना तथा साथ ही मीडिया केन्द्रों तथा आम जनता द्वारा जानकारी के अनुरोधों पर प्रतिक्रिया देना एक निरंतर प्रयास प्रक्रिया हैं।

ILLINOIS DEPARTMENT OF
Human Rights

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

इलिनोइस मानव अधिकार विभाग
कामकाज का समय: सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक आरंभिक साक्षात्कार: सोमवार से गुरुवार, 8:30 बजे सुबह से 3:00 बजे दोपहर तक (शुक्रवार भर्ती के लिए कोई साक्षात्कार किया जात नहीं।)

वेबसाइट: www.illinois.gov/dhr

शिकागों में:

जेम्स आर. थोम्पसन सेन्टर
100 वेस्ट रेन्डॉल्फ स्ट्रीट, स्युट 10-100
शिकागो, IL 60601
(312) 814-6200 या (800) 662-3942
(866) 740-3953 (टीटीवाई)
(312) 814-6251 फैक्स

स्प्रिंगफिल्ड में:

222 सॉउथ कॉलेज स्ट्रीट, पहली मंजिल
स्प्रिंगफिल्ड, IL 62704
(217) 785-5100
(866) 740-3953 (टीटीवाई)
(217) 785-5106 फैक्स

मेरियन में:

2309 वेस्ट मेइन स्ट्रीट
मेरियन, IL 62959
(618) 993-7463
(866) 740-3953 (टीटीवाई)
(618) 993-7464 फैक्स

इस पत्रिका का उद्देश्य इलिनोइस मानव अधिकार विभाग की मुख्य सेवाओं और प्रक्रियाओं को समझने के लिए सामान्य संदर्शिका की तरह हैं। यह संदर्शिका भेदभाव के बारे में सभी सवालात का उत्तर नहीं देगी और किसी का वैयक्तिक मामला किए गए ब्यौरे से भिन्न हो सकता हैं। विभाग के विशिष्ट नियम और कार्यप्रणालियाँ है जो हरेक मामले को लागू होती हैं। वर्णन किए गए किसी भी विषय के बारे में कोई भी सवालात के लिए कृप्या आप से सब से करीबी आईडीएचआर ऑफिस को कॉल कीजिए।

विकलांगता कानून के साथ अमेरिकी लोग, 1973 के पुर्नवास कानून का अनुभाग 504, और इलिनोइस मानव अधिकार कानून के अनुसार, मानव अधिकार विभाग निश्चित करेगा कि सभी कार्यक्रम योग्यता प्राप्त विकलांग लोगों के लिए सरलता से सुलभ और व्यवहार्य हैं। एडीए संयोजन अनुपालन ज़रूरतों के बारे में (217) 765-5119 (आवाज़) या (866) 740-3953 (टेक्स्ट) नंबरों पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर सकता हैं।

इलिनोइस राज्य के प्राधिकारी द्वारा
(102014-HINDI-WEB)